वेडिंग, इन्सेंटिव, कांफ्रेंस और इवेंट थीम पर आर.डी.टी.एम. की शुरुआत

जयपुर। घरेलू और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने, नए होटल व डेस्टिनेशन को प्रमोट करने के उद्देश्य से आयोजित चौथे राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट की राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में (आरआईसी) शुक्रवार को शुरुआत हुई। यह आयोजन फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान (एफएचटीआर) और राजस्थान पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय पर्यटन विभाग भी सक्रिय भागीदारी निभा रहा है। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने मार्ट का विधिवत उद्घाटन किया।

इस दौरान शासन सचिव पर्यटन, कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग रवि जैन, पर्यटन विभाग के अतिरिक्त निदेशक राकेश शर्मा, आरटीडीसी एमडी श्रीमती सुषमा अरोड़ा, एफएचटीआर के प्रेसिडेंट ऑनर भीम सिंह, एफएचटीआर के अध्यक्ष कुलदीप सिंह चंदेला, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सुरेंद्र सिंह शाहपुरा, जनरल सेक्रेटरी सीए वीरेन्द्र सिंह शेखावत समेत टूरिज्म सेक्टर के विभिन्न स्टेक होल्डर्स मौजूद रहे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ठा. रणधीर विक्रम सिंह मंडावा की स्मृति में नियती कुमारी मंडावा, रोहिणी कुमारी मंडावा को पुरस्कृत किया गया। इसी के साथ सुधीर पाटिल, डॉ. ललित के. पवार व एफएचटीआर के प्रेसिडेंट ऑनर भीम सिंह को भी सम्मानित किया गया।

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शुक्रवार को चौथे राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का उद्घाटन किया।

उद्घाटन के साथ ही वेडिंग, इन्सेंटिव, कांफ्रेंस और इवेंट थीम पर आयोजित तीन दिवसीय आरडीटीएम का भव्य शुभारंभ हुआ। आगामी दो दिनों शनिवार और रविवार को बिड़ला ऑडिटोरियम में 200 से अधिक स्टॉल और 600 से ज्यादा होटल्स का प्रदर्शन होगा। इस मार्ट में बिजनेस-टू-बिजनेस (बी2बी) के साथ-साथ शाम 5 बजे से बिजनेस-टू-कस्टमर (बी2सी) बैठकें भी आयोजित की जाएगी, जिसमें आम जनता भी भाग लेकर अपने इवेंट के लिए होटल्स और सुविधाओं की जानकारी हासिल कर सकेंगे। इस आयोजन में देशभर से 1,300 खरीदारों और 7,000 से अधिक आगंतुकों की उपस्थिति की संभावना है।

- **14 से 15 सितंबर तक बिड़ला ऑडिटोरियम में प्रदर्शित होंगे 200 से अधिक स्टॉल और 600 से ज्यादा होटल्स**

उद्घाटन समारोह में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्ट्रांग विजन के साथ प्रदेश में टुरिज्म को प्रमोट किया जाएगा, डबल इंजन की सरकार में राजस्थान विश्व पटल पर कीर्तिमान स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री के विजन के कारण ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन जयपुर आए, पीएम मन की बात व अन्य कार्यक्रमों में राजस्थान को प्रमोट करते ही, उनकी बात पूरी दुनिया सुनती है। उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही प्रदेश की नयी टुरिज्म पॉलिसी लायी जाएगी।

राहुल के वक्तव्य की देशभर में हो रही है निंदा : मदन राठौड़

- **'कांग्रेसी नेताओं को घेरने की जरूरत नहीं, कांग्रेसी तो अपनों से घिरे हैं'**
- **'अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने पर कोर्ट ने कभी नहीं लगाई रोक, अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर प्रशासन की कार्रवाई रहेगी सुचारू'**

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने राहुल गांधी और कांग्रेसी नेताओं की देशभर में हो रही निंदा, आलोचना का समर्थन करते हुए कहा कि कांग्रेसी नेताओं को घेरने की जरूरत भाजपा को नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेता तो स्वयं अपनों में घिरे हुए है। राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत के नेतृत्व और आरक्षण जैसे विषयों पर अनर्गल बयान जारी करेंगे तो देश में उनके वक्तव्य की निंदा तो की जाएगी। वहीं भाजपा अपने परिवार को सुदृढ़ कर रही है इससे वे भयभीत हो रहे है इसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता। राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास जब कोई मुद्दा नहीं बचा तो वे बिना बात के विषय को मुद्दा बना रहे है। किसी भी मामले में अग्रिम जमानत में शर्तें होती है, जबकि रेगुलर बेल में शर्तें नहीं होती। ऐसे में उनका यह मुद्दा ही समाप्त हो गया।

राठौड़ ने सीएम के राईजिंग राजस्थान को लेकर किए गए सवाल के जवाब में कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के राजस्थान में निवेश को लेकर किए जा रहे प्रयास सराहनीय और उत्साहवर्धक है। पहले महाराष्ट्र में गए और करीबन 4.5 लाख करोड़ रूपए का निवेश का एमओयू साइन करके आए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जापान यात्रा से भी राजस्थान में अच्छे निवेश के संकेत मिल रहे है। जापान के बड़े समूह और निवेशकों ने सीएम को आश्वस्त किया है तो शर्मा ने भी राजस्थान में तमाम संसाधन मुहैया करवाने का विश्वास दिलाया। राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश में रोजगार बढाने के लिए वादों को पूरा करने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। ऐसे में शनिवार को जापान दौरे से लौट रहे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का प्रदेशवासी पलक पावडे बिछाकर स्वागत करने के लिए तैयार है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश में चल रही बुलडोजर राजनीति पर कहा कि कोर्ट ने अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए कभी रोक नहीं लगाई। अतिक्रमण हटाना प्रशासन की प्राथमिकता है और रहेगी। पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले लोगों पर भ्रष्टाचार के सवाल उठाने वालों को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वाल्मीकि पहले डाकू थे, लेकिन जब उन्हें ज्ञान का बोध हुआ तो वे महर्षि वाल्मीकि बन गए। उन्होंने कहा कि भाजपा में भ्रष्टाचार कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाजपा जीरो टोलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है और भ्रष्टाचारियों पर कानून के अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी।

भजनलाल शर्मा, दिया कुमारी, सतीश पूनिया, वसुंधरा राजे, अर्जुन राम मेघवाल बने हरियाणा में स्टार प्रचारक

जयपुर। हरियाणा में विधानसभा चुनावों को देखते हुए स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो गई हैं। 40 नेताओं की इस लिस्ट में प्रदेश के 5 नेताओं को भी जगह दी गई हैं। जम्मू-कश्मीर के बाद हरियाणा में भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे, केन्द्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल को स्टार प्रचारक बनाया गया हैं। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर अब ये नेता पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण के लिहाज़ से अलग-अलग सीटों पर इनकी सभाएं और रैलियां आयोजित की जाएगी।

प्रदेश से मोदी मंत्रिमंडल में 4 नेता शामिल हैं। लेकिन हरियाणा चुनाव में केवल एक केन्द्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल को चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी मिली है। इसकी वज़ह है हरियाणा में जाटों के बाद सबसे बड़ा दलित वोट बैंक।

शुरू से ही अर्जुनराम मेघवाल को पार्टी बड़े दलित नेता के रूप में प्रोजेक्ट करती आई है। पिछले कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी ने मेघवाल को कानून मंत्री बनाकर यह मैसेज देने की कोशिश की थी कि बाबा साहेब अंबेडकर के बाद किसी सरकार ने पहली बार देश में दलित कानून मंत्री बनाया है। वहीं इस बार भी अर्जुनराम मेघवाल को कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब पार्टी ने दलित वोट बैंक को साधने के लिए अर्जुनराम मेघवाल को हरियाणा भेजा है।

पड़ौसी राज्य होने की वजह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर हरियाणा बॉर्डर के 7 जिलों में आने वाली विधानसभा सीटों पर प्रचार की जिम्मेदारी होगी। राजस्थान से हरियाणा के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। ये जिले सिरसा, फतेहबाद, हिसार, भिवाणी, महेन्द्रगढ़, रेवाडी और मेवात है। इन जिलों में प्रवासी राजस्थानी भी बड़ी संख्या में रहते है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वसुंधरा राजे हरियाणा चुनावों में प्रचार के लिए जाएगी। यह सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि लोकसभा चुनावों में भी राजे स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल थी। उन्होंने खुद को झालावाड़-बारां लोकसभा सीट तक ही सीमित रखा। प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को भी हरियाणा में स्टार प्रचारक बनाया गया हैं। हरियाणा में करीब आधा दर्जन सीटों पर राजपूत वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। ऐसे में संभवत प्रदेश का बड़ा राजपूत चेहरा होने की वजह से उन्हें जगह मिली है। लेकिन चर्चा यह भी है कि पार्टी ने दिया कुमारी को स्टार प्रचारक बनाकर उनका कद बढ़ाने की कोशिश की हैं। क्योंकि राजपूत चेहरे के रूप में तो वसुंधरा राजे को भी इन सीटों पर प्रचार की जिम्मेदारी दी जा सकती थी। वहीं राजस्थान के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष व हरियाणा प्रभारी सतीश पूनिया को भी स्टार प्रचारक बनाया हैं।

ए.एन.एम. भर्ती में अनियमितता को लेकर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एएनएम भर्ती-2023 में कट ऑफ से अधिक अंक लाने के बावजूद भी ईडब्ल्यूएस वर्ग की महिला अभ्यर्थी को वरीयता सूची में शामिल नहीं करने पर चिकित्सा सचिव और स्वास्थ्य निदेशक से जवाब मांगा है। जस्टिस महेन्द्र गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश अन्ना कुमारी व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि 19 मई, 2023 को राज्य सरकार की ओर से एएनएम के 3736 पदों के लिए भर्ती निकाली गई। भर्ती में 12वीं कक्षा और एएनएम कोर्स में प्राप्त अंकों और अनुभव प्रमाण पत्र के अंकों को जोडते हुए मेरिट बनाई जानी तय की गइ। भर्ती में याचिकाकर्ता ने ईडब्ल्यूएस वर्ग में आवेदन किया। उसके पास इस वर्ग का प्रमाण पत्र भी है और वह राजस्थान की मूल निवासी भी है। याचिका में कहा गया कि गत 4 सितंबर को भर्ती की वरीयता सूची जारी की गई।

'राईजिंग राजस्थान के लिए मिल रहे सहयोग से विपक्ष बौखलाया'

- **'जापान यात्रा से लौट रहे सीएम भजनलाल शर्मा का जयपुर एयरपोर्ट और भाजपा प्रदेश कार्यालय पर होगा भव्य स्वागत'**

जयपुर। भाजपा महामंत्री और विधायक जितेंद्र गोठवाल ने कहा कि राजस्थान के युवाओं के हर हाथ को रोजगार देने के उद्देश्य से राईजिंग राजस्थान के लिए जापान गए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को जयपुर लौट रहे हैं। प्रदेश के युवाओं के लिए विदेश में जाकर रोजगार लाने का प्रयास करने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भारतीय जनता पार्टी की ओर से भव्य स्वागत किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जयपुर एयरपोर्ट पर प्रातः 11 बजे एवं भाजपा प्रदेश कार्यालय में अपराह्न 12 बजे प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के साथ प्रदेश प्रभारी डॉ राधा मोहन दास अग्रवाल और भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता भव्य स्वागत करेंगे। भाजपा प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए शुक्रवार को तैयारियां शुरू की गई। स्वागत की तैयारियों का भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, भाजपा कार्यालय प्रभारी मुकेश पारीक सहित भाजपा पदाधिकारियों ने निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

गोठवाल ने बताया कि राईजिंग राजस्थान के लिए महाराष्ट्र प्रवास पर गए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 4.5 लाख करोड़ से भी अधिक के निवेश के लिए निवेशकों से एमओयू साइन किए है। मुख्यमंत्री शर्मा ने विदेश की धरती पर जाकर राजस्थान में उद्योग-धंधों को स्थापित करने के लिए बेहतर संसाधन, बेहतर विकल्प और केंद्र-राज्य सरकारों का पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन देते हुए निवेशकों को तैयार किया। ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रतिबद्धता को देखते हुए विदेशी निवेशकों ने भरोसा जताया और राजस्थान में निवेश के लिए आश्वस्त किया। मुख्यमंत्री शर्मा ने निवेशकों को सरकार की तरफ से हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया।

भाजपा प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को राईजिंग राजस्थान के लिए देश-विदेश से मिल रहे सहयोग से विपक्ष बौखला गया हैं। कांग्रेसी नेता अनर्गल बयानबाजी कर रहे है। कांग्रेसी नेता ये भूल गए है कि उनके समय राजस्थान की दुर्दशा इतनी खराब हो गई थी कि कोई भी राजस्थान में निवेश करने को तैयार ही नहीं था। राजस्थान का युवा बेरोजगार था और राजस्थान में अपराध लगातार बढ़ता जा रहा था। आज कांग्रेसी गोपालगढ़ की बात कर रहे हैं जबकि राजस्थान की जनता जानती है कि गोपालगढ़ में कांग्रेस के नेताओं ने तुष्टीकरण की राजनीति अपनाई थी।

जांच अधिकारी के खिलाफ की गई टिप्पणियों को हटाने से इनकार

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने आपराधिक प्रकरण में जांच अधिकारी एएसआई के खिलाफ निचली अदालत की ओर से की गई टिप्पणियों को हटाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि निचली अदालत ने मामले में टिप्पणियां करने से पहले निर्धारित मापदंडों को पूरा किया है। जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश इस संबंध में एएसआई की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की ओर से किसी पर टिप्पणी करने को लेकर तीन पैरामीटर तय किए हैं। इसके तहत संबंधित को बचाव का अवसर मिलना, संबंधित के आचरण से संबंधित साक्ष्य मौजूद होना और आचरण पर टिप्पणी करने की जरूरत होने को लेकर निचली अदालत को देखना होता है। मामले में निचली अदालत ने इन तीनों पैरामीटर को पूरा किया है। वहीं अदालत ने माना की जांच अधिकारी की ओर से की गई लापरवाहीपूर्ण जांच ने सीधे तौर पर ट्रायल कोर्ट के समक्ष मामले को प्रभावित किया।

राजकिसान साथी परियोजना में प्रदेश का हर किसान पंजीकृत हो : राज्यवर्धन राठौड़

जयपुर। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने भामाशाह डेटा सेंटर में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे आधुनिकतम तकनीक को अपनाकर प्रदेश के नागरिकों के लिए उच्च गुणवत्ता की सेवाएं तैयार करें, जिससे राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बन सके। कर्नल राठौड़ ने सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा संचालित विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने निर्देश दिया कि परिवर्तित बजट 2024-25 के तहत विभाग से संबंधित घोषणाओं का समयबद्ध और त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने भामाशाह डेटा सेंटर में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक ली।

आईस्टार्ट की समीक्षा के दौरान कर्नल राठौड़ ने कहा कि संभागीय स्तर पर इन्क्यूबेशन सेंटर को शीघ्रता से स्थापित किया जाए, जिसमें सभी आवश्यक उपकरण और संसाधन उपलब्ध हों। उन्होंने एग्रीटेक और मेडिटेक क्षेत्रों में एक अग्रणी रिसर्च सेंटर की स्थापना की आवश्यकता पर बल दिया। राजकिसान साथी परियोजना की समीक्षा में उन्होंने इस सुविधा को इस तरह तैयार करने के निर्देश दिए कि प्रदेश का हर किसान पंजीकृत हो और केन्द्र सरकार की योजनाओं का अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके। उन्होंने ई-संचार, ई-वॉल्ट और ई-साइन जैसे कॉमन एप्लिकेशन के अधिक से अधिक उपयोग की बात की। ई-मित्र की समीक्षा करते हुए, कर्नल राठौड़ ने निर्देश दिया कि प्लेटफॉर्म पर मौजूद सेवाओं को और सरल बनाया जाए ताकि आम नागरिक भी इसका लाभ उठा सकें। आईस्टार्ट के तहत नए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने की बात करते हुए, उन्होंने रोजगार सृजन और प्रदेश के आर्थिक विकास पर जोर दिया।

'जांच अधिकारी नहीं निभा सकता वकील की भूमिका'

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सीआरपीएफ कर्मचारी की सेवा समाप्ति से जुडे मामले में कहा है कि जांच अधिकारी वकील की भूमिका निभाता है तो इससे पूरी विभागीय जांच दूषित होती है। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता के सेवा समाप्ति से जुडे 16 मार्च, 2002 के आदेश को निरस्त कर मामले में पुन: छह माह में निर्णय लेने को कहा है। जस्टिस अनूप ढंड ने यह आदेश महेन्द्र सिंह की याचिका पर दिए। अदालत ने कहा कि मामले में जांच अधिकारी ने वकील के तौर पर काम किया और गवाहों से कई सवाल पूछे व उसी आधार पर जांच की गई। ऐसे में याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप साबित हुए और उसे सेवा से हटाया गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट तय कर चुका है कि जांच अधिकारी निष्पक्ष रहेगा और वकील की भूमिका नहीं निभाएगा।

याचिका में कहा गया कि वह सीआरपीएफ में कार्यरत था। उसके खिलाफ जांच अधिकारी नियुक्त कर जांच आरंभ की गई। इस दौरान जांच अधिकारी ने गवाहों से कई सवाल पूछकर अपनी जांच रिपोर्ट दी।

खोया पाया

मेरे प्लॉट 40-बी, अमर नगर बी, किरनी फाटक, जयपुर के सोसाइटी पट्टे की मूल रसीद खो गई है जिसके संबंध में खोनागोरियां थाने में एफआईआर शिकायत सं 278770602401440 दर्ज है। सीमा राठौड 9672034999

NAME CHANGE

I/We have changed our daughter name from Somaya Choudhary to Saumya Choudhary D/o Rahul Choudhary for all purpose.R/o Flat no-1287-1288 block no-22 rangoli gardens Maharana Pratap marg panchyawala Jaipur.(Raj)

राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-भिवाडी

क्रमांक-1515 दिनांक-01/03/2024

आवश्यक सूचना मूलतः श्री धर्मवीर सिंह द्वारा पंजीकरण संख्या RHB/030532 के द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना पंजीकरण वर्ष 2021 में अल्प आय वर्ग का फ्लेट आवंटन हेतु पंजीकरण करवाया गया था। मण्डल द्वारा उक्त पंजीकरण के आधार पर फ्लेट संख्या 14/49 GF अरावली विहार योजना, भिवाडी में आवंटित किया गया है। श्री धर्मवीर सिंह की मृत्यु दिनांक 11.02.2024 को हो चुकी है। श्रीमती आशा लता पत्नी स्व श्री धर्मवीर सिंह ने प्रार्थना पत्र, आवश्यक प्रपत्र एवं श्री धर्मवीर सिंह की मृत्यु का प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, एवं अन्य वांछित प्रपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है, कि इनके पति का स्वर्गवास दिनांक 11.02.2024 को हो जाने के कारण उपरोक्त फ्लेट संख्या 14/49 GF अरावली विहार, भिवाडी का मृत्यु उपरान्त नाम हस्तांतरण उनके नाम किया जाये। अतः जरिये इस विज्ञप्ति यह आगाह किया जाता है कि उक्त फ्लेट संख्या 14/49 GF अरावली विहार, भिवाडी के संबन्ध में पिता, पुत्र, पुत्रियाँ, भाई व अन्य किसी रिश्तेदार को किसी प्रकार का किसी भी व्यक्ति विशेष या हितकारी को एवं आम व्यक्ति को उजर एतराज हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 10 दिवस में आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड भिवाडी में अपना एतराज लिखित में प्रस्तुत करें अन्यथा श्रीमती आशा लता पत्नी स्व श्री धर्मवीर सिंह के पक्ष में उपरोक्त फ्लेट संख्या 14/49 GF अरावली विहार, भिवाडी जिला अलवर का मृत्यु उपरान्त नाम हस्तांतरण किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

आवासीय अभियन्ता
राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड भिवाडी

राजस्थान सरकार
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद, उदयपुर संभाग
जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, उदयपुर
मादड़ी इण्ड. एरिया, प्रतापनगर, उदयपुर
E-mail- msefc.udr@rajasthan.gov.in

क्रमांक: एफ. 90/MSEFC/FC-VI/ Meeting/2024/ दिनांक: ......

HUNNY CONSTRUCTION COMPANY
C/O MR. BALVEER SINGH VPO RUNDAL,
VIA-MORIJA, AMER, JAIPUR, RAJASTHAN 303805

अंतिम नोटिस

केस नंबर- RJ/33/S/UDR/00276

M/s TRACKSTAR INDUSTRIES (Harsh Dubey) Flat No- G-192, TRACKSTAR INDUSTRIES, RIICO INDUSTRIAL AREA, KALADWAS, UDAIPUR, द्वारा आपको आपूर्ति / सेवा किए गए TRACKOPLUS (N- WHITE), TRACKOPLUS (WHITE), DROP ON GLASS BEADS की विलंबित भुगतान राशि रूपए 490290/- का भुगतान आप द्वारा आपूर्तिकर्ता इकाई को नहीं किए जाने के कारण आपूर्तिकर्ता द्वारा एमएसएमईडी एक्ट, 2006 की धारा 18 के अंतर्गत सुविधा परिषद को रेफरेन्स प्रस्तुत करने पर मीटिंग नोटिस दिनांक 15.02.2023, 13.03.2023, 10.04.2023, 10.05.2023, 14.07.2023, 07.12.2023 व 06.05.2024 में आपूर्तिकर्ता व आपको बैठक दिनांक 27.02.2023, 17.03.2023, 17.04.2023, 25.05.2023, 28.07.2023, 15.12. 2023 व 17.05.2024 रजिस्टर्ड डाक/ ईमेल से प्रेषित किया जाकर वाद के संबंध में सुविधा परिषद के समक्ष उपस्थित होने हेतु लिखा गया । सुविधा परिषद के समक्ष आपकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। आपके बार-बार अनुपस्थित होने एवं परिषद के निर्देशों की पालना नहीं करने को परिषद द्वारा गंभीरता से लेते हुए प्रकरण में कॉन्सिलेशन की प्रक्रिया को समाप्त कर एमएसएमईडी एक्ट, 2006 की धारा 18(3) के अंतर्गत ऑर्बिट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करते हुए निर्देशित किया गया कि क्रेता के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र के माध्यम से आपूर्तिकर्ता स्वयं के व्यय पर क्रेता के लिए सुनवाई के अंतिम अवसर की लोक सूचना प्रकाशित करावें।
अत: अंतिम नोटिस के जरिए आपको सूचित किया जाता है कि आपूर्तिकर्ता इकाई को विलंबित बकाया भुगतान न किए जाने के संबंध में अपना प्रत्युत्तर अविलंब प्रस्तुत करें, अन्यथा राजस्थान सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद नियम-2018 के प्रावधान के अनुसार विलंबित भुगतान चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर उपलब्ध तथ्यों के अनुसार अवार्ड पारित कर दिया जावेगा ।

(शैलेन्द्र शर्मा) संयुक्त आयुक्त,
अध्यक्ष सुविधा परिषद, उदयपुर संभाग

कार्यालय नगरपरिषद, करौली (राज.)

क्रमांक:-1829-33 दिनांक: 12.09.2024

आपत्ती आमंत्रण सूचना

सर्वसाधारण एवं हितधारको को सूचित किया जाता है कि निम्न आवेदकान द्वारा भवन निर्माण स्वीकृति हेतु पत्रावली प्रस्तुत की हैं। अत: कोई भी व्यक्ति/संस्था/हितधारक उक्त पत्रावलियों/दस्तावेजों का अवलोकन करना चाहे अथवा कोई आपत्ति प्रस्तुत करना चाहे तथा किसी भी आवेदक की पत्रावली के सम्बन्ध में कोई जानकारी चाहते हो, वह अन्दर अवधि 07 योम/दिवस लिखित रूप में अपनी आपत्ति/उज्र इस कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकता है बाद गुजरने म्याद कोई आपत्ति स्वीकार/समाहित नही की जावेगी तथा भवन निर्माण स्वीकृति की अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

भवन निर्माण स्वीकृति

क्र.सं.	नाम आवेदक	खसरा नं.	भू. सं.	साईज (वर्गगज/वर्गमीटर)
01	श्रीमति रूपाली सिंघल पत्नि श्री हिमांशु मित्तल	4696	18	97.62
02	श्रीमति रूपाली सिंघल पत्नि श्री हिमांशु मित्तल	4696	19.20	162.71
03	श्रीमति रूपाली सिंघल पत्नि श्री हिमांशु मित्तल	4696	21	97.62
04	श्रीमति रूपाली सिंघल पत्नि श्री हिमांशु मित्तल	4696	22	97.62
05	श्रीमति रूपाली सिंघल पत्नि श्री हिमांशु मित्तल	4696	23	97.62
06	श्रीमति रूपाली सिंघल पत्नि श्री हिमांशु मित्तल	4696	24	97.62
07	श्रीमति रूपाली सिंघल पत्नि श्री हिमांशु मित्तल	4696	25	97.62

आयुक्त, नगरपरिषद करौली

श्री माथुर चतुर्वेदी महापरिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय

जयपुर। गुलाबी नगर जयपुर में श्री माथुर चतुर्वेदी महापरिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन में शुक्रवार को अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। महापरिषद के राष्ट्रीय सभापति नीरज चतुर्वेदी ने बताया कि इन निर्णयों में आगरा से एक संवाद यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद और बनारस जाकर समाज बंधुओ से समाज उत्थान के लिए सुझाव लेगी। राष्ट्रीय पदाधिकारी प्रभारी क्षेत्रों का दौरा कर सदस्यता अभियान बढ़ाने और संगठन को मजबूत करने का प्रयास करेंगे।

जिला प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी अपने परिवार जनों की सदस्यता सुनिश्चित करेंगे। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में सुकन्या सुरक्षा निधि कलश के माध्यम से ऐसी बालिकाओं के उत्थान का कार्य हाथ में लिया गया है जिनके पिता कोरोना काल में काल का ग्रास बने। समाज ऐसी बालिकाओं को गोद लेकर उनके संपूर्ण अध्यापन से लेकर विवाह तक की जिम्मेदारी लेगा। इसके अलावा युवाओं के लिए महिला और पुरुष वर्ग में बैडमिंटन तथा क्रिकेट प्रतियोगिताओं का जिला स्तर, प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।

महापरिषद के प्रदेशाध्यक्ष हृदयेश चतुर्वेदी और महामंत्री पीयूषपाणि चतुर्वेदी ने बताया कि राजस्थान प्रांत का अधिवेशन शनिवार को जयपुर में होगा।

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

कार्यालय ग्राम पंचायत नरायणा, पंचायत समिति मासलपुर, जिला करौली

क्रमांक:-Spl-8 दिनांक: 13.09.2024

ई-निविदा सूचना 01/2024-25

ग्राम पंचायत नारायणा, पं.स. मासलपुर की महात्मा गांधी नरेगा व ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्वीकृत निर्माण कार्यों के लिए अनुसांगिक सामग्री आपूर्ति/उपकरण व्यवस्था हेतु वाणिज्यक कर विभाग में जी.एस.टी. अधिनियम 2017 के तहत पंजीकृत एवं अनुभवली फर्मो/सप्लायर्स/इच्छुक बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/प्राधिकृत डीलर/सोल विक्रेता/विपणन एजेन्टो से दिनांक 31.03.2025 तक के लिए दर अनुबन्ध करने के लिए ई-निविदाऐं आमंत्रित की जाती हैं। ई-निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण http://eproc.rajasthan.gov.in एवं http://sppp.rajasthan.gov.in एवं कार्यालय पर देखी जा सकती हैं।

सरपंच, ग्राम पंचायत नरायणा, पंचायत समिति मासलपुर, जिला करौली
ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत नरायणा, पंचायत समिति मासलुपर, जिला करौली

कार्यालय ग्राम पंचायत मासलपुर, पंचायत समिति मासलपुर, जिला करौली

क्रमांक:-Spl-8 दिनांक: 13.09.2024

ई-निविदा सूचना 02/2024-25

ग्राम पंचायत मासलपुर, पं.स. मासलपुर की महात्मा गांधी नरेगा व ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्वीकृत निर्माण कार्यों के लिए अनुसांगिक सामग्री आपूर्ति/उपकरण व्यवस्था हेतु वाणिज्यक कर विभाग में जी.एस.टी. अधिनियम 2017 के तहत पंजीकृत एवं अनुभवली फर्मो/सप्लायर्स/इच्छुक बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/प्राधिकृत डीलर/सोल विक्रेता/विपणन एजेन्टो से दिनांक 31.03.2025 तक के लिए दर अनुबन्ध करने के लिए ई-निविदाऐं आमंत्रित की जाती हैं। ई-निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण http://eproc.rajasthan.gov.in एवं http://sppp.rajasthan.gov.in एवं कार्यालय पर देखी जा सकती हैं।

सरपंच, ग्राम पंचायत मासलपुर, पंचायत समिति मासलपुर, जिला करौली
ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मासलपुर, पंचायत समिति मासलुपर, जिला करौली

कार्यालय उप वन संरक्षक, भरतपुर

क्रमांक:-एफ/( )विविध/उवसंभ/2023-24/8542 दिनांक: 13/9/2024

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस वन मण्डल अधीन निम्न मिश्रित इमारती लकडी जिसमें मुख्य भाग सफेदा का है की नीलामी सार्वजनिक बोली के माध्यम से की जावेगी जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रम संख्या	समान का विवरण	लकडी बजन लगभग	सामान जहां स्थित है	अनुमानित मूल्य	नीलामी स्थान	नीलामी दिनांक/ समय
1	सफेदा, बबूल, शीशम आदि की मिश्रित इमारती	500 क्विंटल	केन्द्रीय नर्सरी भरतपुर	2.25 लाख	केन्द्रीय नर्सरी भरतपुर	30.09.2024 दोपहर 12.00 बजे से
2	जलाऊ लकडी	325 क्विंटल		0.97 लाख		

अन्य शर्तें:- 1. बोली लगने से पूर्व बोली दाता को अमानत राशि मिश्रित इमारती लकडी हेतु 12000/- रूपये एवं जलाऊ लकडी हेतु 5000/- रूपये नीलामी दिनांक को दोपहर 12.00 बजे तक जमा कराने होगे। 2. बोली न्यूनतम 100/- के गुणक की होगी। 3. बोली लगाने वाली फर्म/व्यक्ति का जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण-पत्र बोली से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। 4. नियमानुसार जी.एस.टी. चालान द्वारा जमा कराने का दायित्व सफल बोली दाता का रहेगा। 5. लकड़ी तालिका में अंकित स्थानों पर जिस स्थिति में है। यथा सुपुर्द की जावेगी। इच्छुक बोलीदाता मौके पर लकडी का अवलोकन कर सकते है। 6. सरकारी बोली पर निर्णय नीलामी समिति द्वारा मोके पर किया जावेगा। 7. बोली प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त ही असफल बोलीदाताओं की अमानत राशि लौटाई जावेगी। 8. बोली निरस्त/स्थपित करने के पूर्ण अधिकार नीलामी समिति में निहित रहेगे। 9. अंतिम बोली का अनुमोदन होने पर सफल बोलीदाता द्वारा मौके पर ही नीलामी की अनुमानित राशि 20 प्रतिशत राशि अग्रिम जमा करायी जावेगी एवं इसके पश्चात लकडी को तुलवाया जाकर मूल्याकंन अनुसार सम्पूर्ण राशि जमा कराने के उपरान्त ही आपूर्ति लेनी होगी। तुलवाने के उपरान्त लकडी की सुरक्षा को जिम्मेदारी इस कार्यालय की नहीं होगी। लकडी को 15 दिवस में मौके से हटाना होगा। 10. सफल बोलीदाता को स्वयं के खर्ते पर लकडियां की तुलाई व परिवहन आदि का खर्चा करना होगा। 11. बोली प्रति क्विंटल में सौ के गुणक में लगाई जावेगी। 12. किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र भरतपुर रहेगा।
विस्तृत जानकारी इस कार्यालय एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी भरतपुर के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। नीलामी की शर्तें कभी भी कार्यालय में उपस्थित होकर कार्यालय समय में देखी जा सकती है।

(जी.के. वर्मा)
उप वन संरक्षक, भरतपुर